(21)

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/छिंदवाड़ा/आ.अ./2018/0781 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-6-2017 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2789.

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड
सेहतगंज जिला रायसेन ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर
2. उपायुक्त, आबकारी संभागीय उड़नदस्ता
   भोपाल/जबलपुर
3. सहायक आबकारी आयुक्त
   जिला छिंदवाड़ा ....प्रत्यर्थीगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/8/19 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2789 में पारित आदेश दिनांक 3-6-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)15-16/1409 दिनांक 20-4-2015 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को ग्राम इमलिया बोहता, चंद्ररोड छिंदवाड़ा में देशी मदिरा की बॉटलिंग कर उससे सम्बद्ध प्रदाय क्षेत्र में थोक बोतलबंद देशी मदिरा प्रदाय करनें हेतु सी.एस.1-बी लायसेंस नवीनीकरण किया गया था । सहायक आबकारी आयुक्त, छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन दिनांक 23-9-2016 के

अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा ग्राम इमलिया बोहता, जिला छिंदवाड़ा में स्थापित सी.एस.1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में माह अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक 327 दिन रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 127 दिन बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर उत्तर प्राप्त किया गया एवं दिनांक 3-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित की गई । इसके साथ-साथ उक्त उल्लंघन लगातार चालू रहने के कारण प्रदाय संविदाकार पर ग्राम इमलिया बोहता, जिला छिंदवाड़ा पर उपरोक्त अवधि में कुल 327 दिवस रेक्टीफाड स्प्रिट एवं कुल 127 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 45,400/- की शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 65,400/- की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को समक्ष में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन अवधि में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह हमेशा रखा गया है और इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह निराधार है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा वैधानिक व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं किया है और किसी भी प्रदाय क्षेत्र में मदिरा प्रदाय विफल नहीं हुआ है, न ही किसी लायसेंसी द्वारा नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग शासन से की गई है । अतः स्पष्ट है कि शासन को राजस्व की कोई नहीं हानि हुई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि शासन को क्या हानि हुई है, यह प्रमाण भार शासन पर था, जिसे शासन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि जब शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है, तब

अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती, किन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किए शास्ति अधिरोपित की गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तर्क में यह भी कहा गया कि संविदा के अंतर्गत किसी पक्ष को हुई हानि की पूर्ति उस सीमा तक की जा सकती है, मनमाने रूप से शास्ति अधिरोपित करना न्यायोचित नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज पर कोई विचार किए बिना आदेश पारित करने में भूल की गई है।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, 1985 सुप्रीम कोर्ट 285, ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट 1979, ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख करते हुए आबकारी आयुक्त का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रत्यर्थीगण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार -

4. Manufacture, working & control: ---

(4) The licensee shall maintain at the distillery the minimum stock of spirit as prescribed by the excise Commissioner from time to time."

2. सी.एस. 1 लाइसेंस की शर्त के अनुसार एवं म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) के अनुसार इकाई को रेक्टीफाइड स्प्रिट 7 दिन एवं भरी हुई बोतलों का संग्रह विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है।

3. इकाई द्वारा प्रस्तुत मासिक पत्रक के अनुसार अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के मध्य अपीलार्थी द्वारा ग्राम इमलिया बोहता, जिला छिंदवाड़ा में कुल 454 दिवस विगत औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह नहीं रखा गया है, जिसके संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई से जवाब मांगा गया।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण आबकारी आयुक्त ने रूपये 100/- प्रतिदन के हिसाब से रूपये 45,400/- और न्यूनतम स्टॉक नहीं रखे जाने से रूपये 20,000/- अनियमितता हेतु अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 65,400/- शास्ति अधिरोपित की गई है ।

5. अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि न्यूनतम स्टॉक का भण्डारण नहीं किया गया है, जो कि अपीलार्थी के स्वयं की स्वीकारोक्ति है। अपीलार्थी द्वारा यह वर्णित किया गया है कि ठेकेदार की मांग के अनुसार प्रदाय करने हेतु न्यूनतम स्टॉक रखा जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपील में ऐसा कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किया गया, जिससे यह दर्शित है कि अपीलार्थी द्वारा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया एवं टेण्डर की उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी का उक्त कृत्य सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन एवं म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के अनुसार दण्डनीय है ।

उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 4(4) (क) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक बोतल भराई इकाई पर भरी हुई मदिरा की बोतलों तथा शोधित स्प्रिट का उतना न्यूनतम स्टॉक रखेगा जो पूर्ववर्ती मास की क्रमशः 5 तथा 7 दिनों की औसत खपत (निर्गम) के समतुल्य हो । इसके अतिरिक्त वह प्रत्येक भाण्डारण भाण्डागार पर भरी हुई मदिरा की बोतलों का उतना न्यूनतम स्टॉक रखेगा जो पूर्ववर्ती मास की 5 दिनों की औसत खपत (निर्गम) के समतुल्य हो । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई ग्राम इमलिया बोहता, जिला छिंदवाड़ा में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 327 दिवस, विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 127 दिवस बोतलबंद मिदरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है । विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई मदिरा की बोतलों का संग्रह नहीं रखने से शासन को राजस्व हानि होने अथवा नहीं होने का इस शर्त के पालन में कोई संबंध

नहीं है । अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 4(4) का उल्लंघन होकर 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह विधिसम्मत है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-6-2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये ।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/छिंदवाड़ा/आ.अ./2018/0781

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को पारित अंतिम आदेश के प्रथम पृष्ठ की द्वितीय लाईन के नाम के शीर्ष में टंकण की त्रुटिवश इकबाल सिंह बैंस के स्थान पर मनोज गोयल टंकित हो गया है। अतः उपरोक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि होने से सुधार करते हुए आदेश की द्वितीय लाईन में मनोज गोयल के स्थान पर इकबाल सिंह बैंस पढ़ा जाये। यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी। (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष 13/8	